बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–17/2015– 1522 /कृ0,पटना, दिनांक 26/3/ ,2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए द्वितीय किस्त की स्वीकृत कुल 106.22 लाख रूपये (एक करोड़ छः लाख बाईस हजार रूपये) (केन्द्रांश 63.732 लाख रूपये एवं राज्यांश 42.488 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

राज्यादेश संख्या–1634 दिनांक–28.03.2016 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए द्वितीय किस्त की स्वीकृत कुल 106.22 लाख रूपये (एक करोड़ छः लाख बाईस हजार रूपये) (केन्द्रांश 63.732 लाख रूपये एवं राज्यांश 42.488 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए द्वितीय किस्त की स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

मद	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
1. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र का स्थापना	54.75
2. डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर अंतर्गत	
i. डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण	27.00
ii. पशु उत्पादन शोध संस्थान, पूसा के अंतर्गत अवस्थित पोल्ट्री फार्म को एक आदर्श अनुदेशात्मक पोल्ट्री फार्म के रूप में सुधार एवं विकास करना	24.47
कुल	**106.22**

3. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2016–RKVY दिनांक–22.09.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में केन्द्रांश 161.12 करोड़ रू० एवं राज्यांश 107.41 करोड़ रू० कुल 268.53 करोड़ रू० अंतिम उद्व्यय संसूचित किया गया था। इसके आलोक में विभागीय पत्र संख्या–5161 दिनांक–07.12.2016 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश 115.82 करोड़ रू० एवं राज्यांश 77.21 करोड़ रू० कुल 193.03 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया था। उक्त उद्व्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2016–RKVY दिनांक–04.01.2017 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश मद में 45.055 करोड़ रू० विमुक्त किया गया था। उक्त विमुक्त के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–70 दिनांक–09.01.2017 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में 32.39 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया था। भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2016–RKVY दिनांक–04.01.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में अवशेष राशि 9.26 करोड़ रूपये को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्वेधीकृत किया गया था एवं इस राशि को भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विमुक्त किया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में कृषि विभाग के पास केन्द्रांश मद में 41.65